परिशिष्ट–दो

प्रपत्र – 2 (क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम (संशोधन) नियमावली, 2013 के नियम–17 (क) को देखे

ई–मेल

दूरभाष :

फैक्सः

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर (जनपद का नाम) उत्तराखण्ड

दिनॉक 13-12-23

पत्रांक :– 6598

....

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

स्वामी दयानन्द सरस्वती विद्या मन्दिर (विद्यालय का नाम एवं पता)
सरवनपुर बाजपुर, उधम सिंह नगर

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009की धारा 19 (2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 के

नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची मे निर्धारित मानक एवं मानदण्डो को पूर्ण

करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनॉक 13-12-2023 के क्रम मे विद्यालय स्वामी दयानन्द सरस्वती विद्या मन्दिर, सरवनपुर, बाजपुर (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा –19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूचि मे निर्धारित मानक एवं मानदण्डो को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है । जनपद–..... उधम सिंह नगर मे आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 3910 है । भविष्य मे यदि अधिनियम की अनुसूचि मे निर्धारित मानक एवं मानदण्डो का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम–18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता / अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी ।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी,

जनपद– उधम सिंह नगर

उत्तराखण्ड ।